<u>आरबीई सं. 09/2026</u>

भारत सरकार/GOVERNEMNT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

सं. ई(जी)2025/एफई1/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 30.01.2026**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां
(मानक अनुसूची के अनुसार)

विषय: वृतिक संस्थानों/सोसाइटियों की सदस्यता लेने की पात्रता एवं सेवा के अंतिम वर्ष में अधिकारियों के लिए आनुपातिक आधार पर सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति।

संदर्भ: बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)2017/एफई-1/2 दिनांक 06.01.2018 (आरबीई सं.01/18) ।

बोर्ड द्वारा अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा अपने करियर के अंतिम चरण में सदस्यता लेने पर प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठाने के मुद्दे पर वर्ष 2018 में विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि सदस्यता की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा, चाहे वह नई सदस्यता हो या/पुरानी सदस्यता का नवीनीकरण, स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि दावा अधिकारी की सेवा के अंतिम वर्ष से संबंधित हो। तदनुसार, बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे।

2. यह निर्णय लिया गया है कि आरबीई सं.01/18 में संशोधन किया जाए और सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि तक, आंशिक/आनुपातिक आधार पर नई अथवा पुरानी सदस्यता के नवीनीकरण, दोनों वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए 90% प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए।

सेवा के अंतिम वर्ष के दौरान देय वार्षिक सदस्यता शुल्क (नई/पुरानी का नवीनीकरण) की आनुपातिक प्रतिपूर्ति के लिए राशि (क) की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाए:

$$\text{क} = \frac{\text{सेवा के शेष माह}}{12} \times \text{वार्षिक सदस्यता शुल्क का 90\%}$$

उदाहरणार्थ, यदि किसी अधिकारी की सेवा के 6 माह शेष हैं, और वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹10,000/- हो, तो उपयुक्त प्रतिपूर्ति राशि ₹4,500/- होगी।

जारी.../-

3. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवा के अंतिम वर्ष में किसी भी संस्थान/सोसाइटी की आजीवन सदस्यता लेने पर कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

नीलम यादव

(नीलम यादव)
निदेशक स्थापना (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(जी)2025/एफई1/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 30.01.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

विकास भारद्वाज

कृते सदस्य वित्त/ रेलवे बोर्ड

सं.ई(जी)2025/एफई1/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 30.01.2026**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ ।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ (एफआरओए)।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
6. अध्यक्ष, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ ।
8. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन।

जारी..../-

10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलॉइज एसोसिएशन,कमरा नं.8, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)